



2026:AHC:48256

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 752 वर्ष 2026

परशुराम बिंद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता: पूनम यादव, राज करन यादव, यदुवेन्द्र कुमार यादव

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 4/ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है: प्रत्यर्थी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद वाराणसी द्वारा वाद संख्या 11659/2017 (कंप्यूटरीकृत संख्या T20171470300111659) (रिपोर्ट लेखपाल बनाम परशुराम), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.01.2021; प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर जिलाधिकारी (नगर), जनपद वाराणसी द्वारा अपील संख्या 00917/2021 (कंप्यूटरीकृत संख्या D202114700000917) (परशुराम बनाम राज्य एवं अन्य), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13.03.2023; तथा अपर आयुक्त (प्रशासन), जनपद वाराणसी द्वारा निगरानी संख्या 1092/2023

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(कंप्यूटरीकृत संख्या C202314000001092) (परशुराम बनाम ग्राम सभा एवं अन्य), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 11.10.2023

3. विभिन्न अन्य तर्कों के अतिरिक्त, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि उपरोक्त आदेश **ऋषिपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, रिपोर्टेड 2023 (1) ADJ 154 के मामले में प्रतिपादित पैराग्राफ-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हैं, अतः वे निरस्त किए जाने योग्य हैं।

4. इस तथ्य को प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

5. इसे दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि दिनांक 21.01.2021, 13.03.2023 और 11.10.2023 के आदेश उपरोक्त **ऋषिपाल** (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे, अतः वे रद्द किए जाने योग्य हैं और तदनुसार उन्हें एतद्वारा रद्द किया जाता है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

7. प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जाता है कि वे चार माह के भीतर विधि के अनुसार नवीन आदेश पारित करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

9 मार्च, 2026

पी.पी.